[श्री असफाक हुसैन]

पर उत्पादन के हिसाब से चार्ज लगाइए। आंकड़े आपके पास है कि प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन में कितनी बिजली की खपत होती है और उसी के हिसाब से उनसे पैसा लिया जाना चाहिए। जब आप किसानों पर लगा सकते हैं तो आपको सिनेमा घर और चीनी मिलों पर लगाने में क्या आपत्ति है। बिजली के बारे में एक बात यह भी आई थी कि आप राष्ट्रीय बिजली प्लान बनाकर आप उसको सदन में रखेंगे। लेकिन अभी तक कोई उसकी शक्ल, कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का रूप भी अब तैयार होने जा रहा है, पता नहीं आप उस में इस बात का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार बिजली की जो व्यवस्था, एक जनरेशन दूसरा ट्रांसमीशन और तीसरा डिस्ट्रिब्यूशन .....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr Hussain, are you concluding now, or will you continue toworrow ?

SHRI ASHFAQ HUSSAIN : I will continue tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; You can continue tomorrow.

——

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Dowry Deaths in Delhi

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we shall take up half-an-hour discussion.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो जवाब दहेज के प्रसंग में जलने वाली महिलाओं का आया है, वह बहुत ही विरोधात्मक है। इन के जो जवाब पहले हुए हैं और अखबारों में जो रिपोर्टें छपी हैं, उन में काफी अन्तर है और ऐसा लगता है कि पुलिस जो गलत रिपोर्टें दे देती है, उसी पर मंत्री जी आधारित हो जाते हैं और कोई विशेष या खुफिया पुलिस इन्हें सही रिपोर्ट नहीं देती है और इस कारण ऐसा लगता है कि इस सदन को केवल झूठी रिपोर्टें ही मिलती हैं।

दहेज समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप है, एक भयंकर कलंक के रूप में यह उभरा है और कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन कि महिला जल कर न मरती हो। कई रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में 12 घंटे में एक ऐसी मृत्यु होने की खबर है और ऐसी भी कई रिपोर्टें है, जिन के अनुसार 24 घंटे में एक मृत्यु होती है। मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि 6 महीने के अन्तराल में 23 इस तरह की घटनाएं हुई हैं, यह इन्हीं के जवाबों से बिल्कुल गलत साबित होता है। 3 मार्च 1983 को लोक सभा में ही वेंकटसुब्बय्या जी ने श्री राम लाल राही के एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि "260 women died of burns last year."

इन्होंने ही उस दिन यह बताया था और राज्य में भी 18 मार्च, 1983 को श्री लाखन सिंह, एम० पी० के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया है कि 1982 में 40, 1981 में 23 और 1980 में 17 मौतें हुई हैं। इस तरह से आप देखें कि इन के दोनों जवाबों में अन्तर है। पुलिस ने केवल 23 महिलाओं की मृत्यु की सूचना दी है और मैं यह समझता हूं कि पुलिस कम घटनाओं की रिपोर्ट इसलिए करती है कि कहीं उस के ऊपर चार्ज न लग जाए कि इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और

कहीं स्ट्रिक्चर्स उस पर न लग जाएं। इस तरह से दहेज के अभिशाप से जितनी महिलाओं की मौतें हो रही हैं, उन सबको पुलिस दबा रही है और सरकार पुलिस को संरक्षण देती है और उन की रिपोर्ट पर ही सरकार आधारित हो जाती है। समाचार-पत्रों और सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं से जो अन्य रिपोर्टें मिली हैं, उन के अनुसार 1975 से 1978 तक 5245 केसेज नई शादी करने वाली महिलाओं के जल कर आत्म हत्या करने से मौतें हुए हैं और इसी तरह से 11572 रैप के केस भी हुए हैं 1977 से 1980 के दौरान। इस प्रकार से यह जो भयंकर अपराध है, उस से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन पार्लियामेंट में उन का इतना घटा कर देते हैं, जिससे सदन गुमराह हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने जो कार्यवाही की है, अभी तक नाकाम हुई है और अभी तक वह कोई लाभ-निद्ध नहीं हुई है। इसलिए ये घटनाएं प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और इनको रोकने के लिए कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो रही है। इस का कारण यह है कि यहां की जो प्रशासन व्यवस्था है, उस में बहुत कमी है और जहां तक हो सकता है सरकार उसी की मदद करती है और उसी पर निर्भर करता है और जो समाज की अन्य संस्थाएं हैं, उन के प्रतिवेदनों पर वह विश्वास नहीं करती है। 6 सितम्बर का जो हिन्दुस्तान टाइम्स है, उस में यह निकला है कि 7 वर्ष में ऐसी घटनाएं डबल हो गई हैं और 1981 में उन्होंने यह बताया है कि 500 इस तरह से 1981 को अगर देखा जाय, तो 154 इस तरह की मौतें 5 महीनों के दौरान हुई हैं।

यह हिन्दुस्तान टाइम्स में आया है। 1980 की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट को देखा जाए। जितनी मौतें हुई हैं उनमें 65 परसेंट मौतें जलने के कारण हुई हैं और 35 परसेंट मौतों में चाहे तो हत्या की गई है या सुसाइड किया गया है। इन घटनाओं को आज तक सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर डील नहीं किया है। इस कारण से ऐसे अपराध दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन अपराधों के जो अपराधी होते हैं, वे कानून के चंगुल से भाग निकलते हैं। आपके कानून और कार्रवाही में इतने चोर-दरवाजें हैं, कि ये अपराधकर्मी कानून की गिरफ्त में नही आ पाते हैं। पुलिस की भी मिली-भगत से ये अपराधकर्मी सजा पाने से बच जाते हैं। इन मामलों में पुलिस की कार्रवाही को निल कहा जा सकता है।

न्यायालयों में जो मामले भेजे जाते हैं उनके बारे में भी मैं उद्धरण देना चाहूंगा। दिसम्बर, 1982 में श्री वी० पी० वंसल, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश ने एक केस को रिजेक्ट करते हुए, ऐसे केस को रिजेक्ट करते हुए जिसमें की जलने से मौत हुई थी, डाइंग डिक्लेअरेशन के बारे में रिमार्क दिया कि इनसफिशियेन्ट एवीडेंस। उसका अपराधी, मोतियाखान का राजकुमार रिहा कर दिया गया। इन्हीं न्यायाधीश महोदय ने इन्वेस्टीगेटिंग ऐजेन्सी के बारे में भी रिमार्क किया है जो कि मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

> "....that it shows that the Investigating Officer was either inexperienced or did not do his job in accordance with the law and there was no proper supervision or guidance to the Investingating officer."

सरकार और पुलिस इस तरह से बयान और सबूत इकट्ठे करती है जिसमें की जान-बूझकर या भ्रष्टाचार के द्वारा अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती है। यह जजों ने पुलिस पर स्ट्रिक्चर पास किया है।

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। उसमें भी बर्निंग से मौत हुई थी। श्री पी० के० बहल, अतिरिक्त सेसन जज ने स्टेट बर्सस नागराज केस में अपराधी को मुक्त कर दिया। एक केस नवम्बर 1983 का सुशील-कुमार का है, इसमें श्री एस० एम० अग्रवाल एडीशनल सेसन जज ने कहा है—

"....his concern and anguish at the manner of the police working even in such heinous, crimes as this one in permitting the accused party to acquire vital information concerning it in the police diary.'

इस सरकार के जो लूपहोल्स है उनका एक्सक्यूज मुजरिम को मिल जाता है और उनसे वह बच निकलता है। इन जजों के बयानों से इस तरह की बातें सामने आती हैं कि पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। इसका समाज में कितना घातक परिणाम होता है। इसलिए सरकार को चाहिये कि दहेज के कारण होने वाली मौतों के बारे में बड़ी चुस्ती से काम करे। दिल्ली और दूसरे ऐसे स्थान हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जहां पर कि ऐसी बहुत ही ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, ऐसे स्थानों पर सरकार को कारगर उपाय करने चाहिए और पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक इस तरह का अभी तक कोई काम नही हुआ है। कई केसिज मे डाइंग डिक्लेअरेशन को अपर्याप्त प्रमाण बता कर अपराधी को रिहा कर दिया गया है। केवल टेक्नीकल ग्राउंड्स पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अपराधियों को बच निकलने का रास्ता मिल जाता है। 1137 महिलाओं की अकाल मृत्यु पिछले 26 महीनों में हुई जिनमें से 1979 से 1981 के दौरान केवल 234 केसिज रजिस्टर्ड किये गये।

इसमें से 50 केस ट्रायल स्टेज तक पहुंचे हैं। 10 केसों में अनुसंधान किया गया और एक आदमी को सजा दी गई। इस प्रकार से पुलिस की गड़बड़ियों के कारण सारे के सारे अपराधी बच निकलते हैं और समाज की महिलाएं मृत्यु का आवरण करती हैं।

इस संदर्भ में जगदीश लाल मल्होत्रा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बारे में सत्र न्यायाधीश एस० सी० जैन ने आब्जर्व किया था :—

"In most of the cases the culprits escape the liability for want of evidence and such cases are given the label of suicide or accident. But whenever such a case is proved beyond douft, the extreme penalty of death should be awarded to the culprits who are enemies of the society."

इस प्रकार से अपराधियों को बचाने की बात अगर नहीं होती तो जज इस तरह की बात नहीं करते। जज इस तरह के सामाजिक अपराधियों को सजा देना चाहते हैं ताकि समाज से इस कलंक का निवारण हो सके। वर्तमान कानून में अपराधियों को बचाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। अभी तक हम कानून में संशोधन नहीं कर पाए हैं।

सेशन जज एस० एम० अग्रवाल ने कहा है —

"The Judge's personal dereliction also a plays a role in deciding the cases .....in the case of Vina Nagaratna, who was burnt to death in her house, in 1980 the case was dealt by two session judges. Looking at the same evidence the first

judge was convinced that it was a murder but the second judge P.K. Bahri declared it a suicide....."

इस प्रकार से उनका मस्तिष्क बनता है। इस दिशा में सरकार कहती है कि प्रासीक्यूटर्स को निर्देश दिए गए हैं। लोगों की इस तरह के मामलों में जमानत हो जाती है। जहां तक महिला संगठनों का सवाल है, उनका कहना है कि इस तरह के अपराधियों की जमानत नहीं होनी चाहिए।

19 दिसम्बर 1980 को लोकसभा में और 24 दिसम्बर 1980 को राज्य सभा में एक ज्वाइन्ट कमेटी का गठन किया गया। इसकी 41 मिटिंग हुई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। अभी तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

यह बात सही है कि यह दहेज प्रथा कोई आज की नहीं है। 1939 में भी इस बारे में एक एक्ट बना। उससे पहले से यह प्रथा चली आ रही है। 1961 के बाद संविधान के अनुच्छेद 246, क्लाज 2 और 254 क्लाज 2 के अनुसार डाउरी प्राहिबिशन एक्ट 1961 को राजकीय स्तर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब ने भी बनाया। लेकिन कानून केवल कागजों में ही रह गया। उसका लाभ नहीं हुआ। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछले 6 महीनों में जो 23 केसेस हुए हैं, इसमें कितनों को सजा हुई है?

1980 से आज तक जितने केस हुए हैं उन में से कितनों को सजा दिलाई गई है, यह मैं जानना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब जवाब आएगा तो कह दिया जाएगा कि एक या दो केसिस में सजा दिलाई जा सकी है। ऐसी अवस्था में कैसे आप इस तरह के केसिस पर रोक लगा सकते हैं। यदि आप रोक लगाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आई० पी० सी० 1860, सी० आर० पी० सी० 1873 और इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 में आप सुधार करें। सुधार की बात आप कह रहे हैं और जवाब में भी आपने कहा है कि संशोधन आप करने जा रहे हैं लेकिन कितने ही— बरसों से आप यह बात कहते आ रहे हैं लेकिन संशोधन कर नहीं रहे हैं। इस दिशा में आप अविलम्ब कदम उठाएं। बहुत से लोगों ने सजेशन दिया है कि इस आफेंस को कागनिजेबल और नान-बेलेबल बनाया जाय। क्रूअल्टी टू विमैन इसको भी० आई० पी० सी० में जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस की शादी हुए सात बरस पूरे न हुए हो उसकी लाश का कम्पलसरी पोस्ट मार्टम अवश्य होना चाहिये। साथ ही साबित करने का ओनस हस्बेंड पर डाला जाना चाहिए और उसको साबित करना चाहिए कि उसने पत्नी पर अत्याचार या जुल्म नहीं किया।

डाउरी को लेकर हैरासमेंट की जितनी घटनाएं होती है उसको बहुत आसान और सिम्पल बनाया जाना चाहिए। महिलाओं में हिम्मत नहीं होती है कि थानों में जा कर विवरण दे सके या वहां जा सके। मैं एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस आई के एक आदमी नरेश कुमार की शादी 29 अप्रैल 1983 को हुई सुमन बाला के साथ जिस की आयु 23 बरस है। उसकी 20 जुलाई को हत्या कर दी गई। थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। उसकी बहुत पैरवी हुई कि वे जेल में न जाए और जेल में उसको बन्द नहीं किया गया। मंत्री जी के पास भी इसकी रिपोर्ट आई होगी। इस

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

तरह के केसिस में तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिएं।

कन्यादान जिस को कहते हैं इसको बैन कर देना चाहिये। यह एक कमोडिटी बन कर रह गई है। लड़की जिस का विवाह होता है उसको एक कमोडिटी के समान इस में समझा जाता है, सामान की तरह उसको समझा जाता है। इस पर बैन लगना चाहिये। शादियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये।

एक हाई पावर कमिशन भी बनाया जाए जो अपने सजैशन सरकार को दें। जो कमेटी बनी थी और जिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के अनुसार आपको कार्य करना चाहिये था वह भी आपने नहीं किया। सिटिजंज काउंसिर दिल्ली ने भी कहा है कि एक हाई पावल कमिशन बनाया जाना चाहिये।

एंटी डाउरी पुलिस स्कवैड बनाया जाए। उस में काम करने वालों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस जुल्म की, मारने की, दहेज से प्रभावित महिलाओं की ठीक से वह जांच कर सके, उसके कागज पत्र तैयार कर सके। तथ्यों को गोपनीय रखने की आवश्यकता है।

डाउरी में जो आर्टिकल्ज दी जाती हैं, उनका एग्जीबीशन नहीं होना चाहिये। शादियों में बहुत ज्यादा ठाट बाट, दिखावट होती है, राजशाही चलती है, लाख डेढ़ नहीं कई लाख खर्च कर दिया जाता है। दिल्ली में यह चीज हुई है। इस वास्ते डाउरी की एग्जीबीशन पर पाबन्दी होनी चाहिये। वह एग्जीबिट नहीं होनी चाहिये।

दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए पीपल गृह बनाए जाएं। जो दोषी पति है, जो अत्याचार करता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 या जो भी धारा हो उसके तहत, उस महिला के भरण पोषण की जो व्यवस्था है, जो जिम्मेवारी है वह उस पर डाली जाए और ऐसे दोषी पतियों से पांच सौ रुपया माहवारी वसूल किया जाए और स्त्री को दिलाया जाए। अगर उनके कोई पिता न हो या और कोई न हो तो ऐसी महिलाओं को दूसरे ढंग से अलग रखा जाये और उनसे पैसा वसूल करके उनका पालन किया जाये।

स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा लोकमत तैयार किया जाये, क्योंकि कानून से कुछ नहीं होता। जब तक लोकमत तैयार नहीं होगा यह समाज के लिये कलंक बना रहेगा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, महिला संगठन और समाज कल्याण बोर्ड आदि संस्थाएं दहेज विरोधी प्रचार करें और हर राज्य की भाषा में इसका प्रचार हो। जब तक ये स्वैच्छिक संस्थाएं गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रचार कर के जनमत नहीं बनायेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। सरकार को इसमें काफी प्रोत्साहन देना चाहिये। समाज कल्याण बोर्ड को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

दहेज के अभियुक्तों की काली सूची बनायी जाये उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाये और प्रसारण साधनों के द्वारा इनको बदनाम करना उचित होगा जिससे इस तरह के ब्लेक लिस्ट लोगों की फिर दोबारा शादी न हो सके। पुलिस को पत्नि को जलाने वाले पतियों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिये और उनके पुनर्वास के लिये

केवल अनाथालय की परित्यक्ता स्त्रियों से ही उनकी शादी की इजाजत देनी चाहिये ताकि ऐसे लोगों को समाज में फिर जगह न मिल सके और इस तरह से परित्यक्ता लड़कियों के भरण-पोषण का भी साधन हो जायेगा।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, जितने लोक सेवा के चयन किये गये बड़े-बड़े अधिकारी, डाक्टर इंजीनियर, टैक्निकल साइंटिस्ट्स होते है इनकी शादी के लिये 2.2 3.3 लाख रुपये और स्कूटर, फ्रिज की मांग होती है। इस तरह से दहेज न मिलने के कारण हत्या हो रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा अभिशाप पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार की सेवा शर्तों में, कन्डक्ट रूल्स में सुधार कर के ऐसी शर्तें लगानी चाहियें कि अगर ये लोग कहीं भी दहेज लेकर शादी करेंगे तो उन पर कड़ी कार्यवाही होगी।

अगर अन्तर्जातीय विवाह चलाये जायें, सरकारी स्तर पर जो अन्तर्जातीय विवाह करें तो इस तरह से भी दहेज की प्रथा मिट सकती है और ऐसी परिस्थिति में उनका आरक्षण किया जाना चाहिये।

डाइंग-डिक्लेरेशन को प्राप्त साक्ष्य कहा गया है। सभी अभियुक्तों की ऐसी धारणा बना देनी चाहिये कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है वह उनकी सजा के लिये पर्याप्त है। इस तरह से उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Sir, I am highly thankful to the hon. Member for having raised this half an hour discussion in this House. Of course, it has arisen out of a question that has been answered in the Lok Sabha, when the hon. Speaker wanted that this matter should be discussed through a half an hour discussion. It has given an occasion for the Government to explain the position and the steps taken to see that this evil is prevented, as far as practicable. In matters of this nature, not only administrative action but mobilisation of public opinion is also necessary to eradicate this social evil.

The hon. Member has raised several points. One important point is that there is contradiction between the figures that I have given both in this House and in the other House with regard to dowry deaths. The hon. Member and the House must appreciate that death of women by burning is quite different from death because of dowry causes. Dowry deaths are different from general incidents of casualties due to burning of women. If the hon. Member carefully goes through my statement, he will find that I have said that in the first half of this year, from 1-1-83 to 30-6-83, the total number of deaths due to burning are 270, out of which 23 have been identified as dowry deaths.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : Who identified ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The police identified. And the other deaths also have been gone into. Sir, I can say that out of the deaths that are classified under murder, that is, 15 under murder, 8 are due to dowry, abetment of suicide are 26, suicide are 33 and accidental deaths are 196. The total is 270. So, these deaths will be accidental, suicidal and due to several causes.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Suicide is also related to dowry.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : If a lady feels very much frightened because she has to pay dowry and she commits suicide, under what category would you add that death ?

(Interruptions).

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North-Central) : In spite of the letters written by the girl before her death, those letters are not taken into consideration by the police.

SHRI P. VEKATASUBBAIAH : I am coming to the point.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : They are not taken into consideration in spite of the proof produced.

(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him complete the reply.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, the number of cases of women succumbing to burn injuries alone have been reported in the press. In fact, according to the recent record maintained by the police, from 1-1-83 to 30-6-83, as I have earlier submitted to this House, 270 women had died as a result of having sustained burn injuries. Even though in these cases there was no complaint or any foul play, as per the instructions issued by the Government, an inquest was conducted in each case including *post mortem*. It was only after the investigating agency was completely satisfied on the basis of oral, documentary as well as medical evidence that there was no foul play and that burning was a pure accident, was the case filed by the court withdrawn with the consent of the judicial magistrate. This is the explanation on why the number of deaths reported are higher than the number of dowry cases registered.

I have already informed that the Government is seriously concerned with this social evil and in this connection, I have to compliment the role that has been played by the voluntary organisations especially in Delhi. And I must specially refer to the vigilance that has been set up by some important social workers like our hon. Member, Shrimati Dandavate, who is sitting here. Whenever such complaints have been brought to my notice, I may humbly submit that I have taken prompt steps and the hon. Member will bear testimony to that fact.

Sir, the present law as it is in the statute book is not adequate enough to deal with this matter effectively. That is why we are proposing to bring several amendments to the I.P.C., Cr.P.C. and the Indian Evidence Act to make it more stringent so that those indulging in dowry can be punished. Apart from this, the Dowry Prohibition Act itself is being amended. Administrative instructions have also been issued to the police conducting investigation in the deaths of young women in suspicious circumstances to be extra vigilant and to complete investigation expeditiously.

18 hrs.

The latest steps the Government proposes to take with regard to the amendment of the relevant provisions of the Criminal Procedure Code and Indian Penal Code, we intend to bring in the following amendments :

An additional provision in the Indian Penal Code to punish the husband or relative of the husband of the woman who subjects her to cruelty within seven years of marriage, with imprisonment which may extend to three years and fine. The offence will be cognizable and non-bailable

Amendment to Section 174 Criminal Procedure Code, to provide for compulsory post mortem in cases where a woman within seven years of her marriage has committed suicide or died under suspicious circumstances.

Amendment to Section 196 Criminal Procedure Code to make inquest

by the executive magistrate compulsory in case of suicide or death under suspicious circumstances of the woman within seven years of her marriage.

Amendment to Evident Act to permit the court to presume abetment by husband or relative of husband to commit suicide of a woman who had committed suicide within seven years of her marriage and who has been shown to have been subjected to cruelty before committing suicide.

These are important amendments which we want to make so as to make the laws more stringent.

Due to pressing demand inside and outside Parliament for the amendment of the law relating to rape so as to make it difficult for offenders to escape conviction, to ensure that severe penalties are imposed on those convicted, Bill—Criminal Law Amendment Bill 1980—was introduced in the Lok Sabha. The Bill was referred to Joint Committee of both the Houses of Parliament for consideration. The Joint Committee presented its report to Parliament on 2nd November. The matter has been listed in the Agenda, We are going to that Bill soon.

(Interruptions)

Dowry Bill is dealt with by the Education Ministry. Dowry Prohibition Act is also being amended. Several recommendations have been made by the Joint Select Committee and according to the present Report of the Joint Select Committee several amendments are being made to make it more stringent and also the Government has taken certain administrative actions.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : I want to know whether Dowry Prohibition Amendment Bill will be introduced during this Session or not ? I know about all these Criminal Procedure Code, etc. We have been assured by the Prime Minister. You have also assured in the Rajya Sabha. We want to know whether the Bill will be introduced in this Session or not ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I appreciate the hon. Member's concern in this regard. There are several suggestions made in the Joint Select Committee. They are bieng processed. I would like to assure the hon. Members that expeditious action will be taken to introduce this Bill.

PROF. MADHU DANDAVATE : At an appropriate time.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I did not say 'appropriate time'. Shri Vajpayee is smiling because I said 'expeditious action will be taken'. I may tell the hon. Members that it does not relate to our ministry. Voluminous amendments have been made. These are being looked into very carefully. The amendments should not be counter productive, So, that is the anxiety of the Ministry to go slow in this matter and process them so that it will have the desired effect.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can straightaway reply to the question whether it is coming in this Session or not.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Why not pass an Ordinance soon after the Session ?

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : We submitted our report on the 11th August, 1982. Since then, one year has passed. Still the Minister says that he is going through the recommendations.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I have already told some of the amendments suggested : it was felt that due to the wilful conduct of the husband, some of the relatives of the husband are likely to drive a woman to commit suicide or cause harassment of the woman, with a view to coercing her to meet any un-

[Shri P. Venkatsubhaiah]

lawful demand for property, a penal offence punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and fine has been suggested. So, a careful scrutiny should be made. It is proposed to undertake legislation to amend the Cr. P.C. This is what I have said just now.

I will Pass on the feelings of this House to my hon. colleague who deals this matter in the Education Ministry and I will persuade her to expedite the whole matter. I will convey the feelings of the hon. Members to her. I want to make one thing clear here. The Government is as anxious as the hon. House to bring any legislation as early as possible. But when the legislation is made, every care has to be taken that this legislation should not be counter-productive. That is our anxiety.

Regarding the recommendations of the Joint Select Committee and so far as the law relating to rape is concerned, it is being introduced now. We have given certain detailed instructions to the Administration and also to the State Governments to deal with these situations as and necessary. The Supreme Court in a recent case recommended the creation of a cell in the Ministry of Home Affairs to monitor the implementation of the instructions mentioned. It has been presently decided that the implementation of the above instructions should be monitored by the existing section which also deals with the crime by getting quarterly progress report from the State Governments and the Union Territory Administrations. A Joint Secretary or a Deputy-Secretary may visit the State where the progress is not satisfactory.

PROF. N.G. RANGA : When they have suggested a separate cell, why are you passing it to the existing section in the Department ? They have suggested a separate cell. Are you not agreeing for a separate cell ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Prof. Ranga ji, as far as the States are concerned, we do not have any hand. It is purely a law and order subject which falls within the purview of the State Government. I will inform the House as to what steps we have taken in this regard in the Union Territory Administrations.

So far as Delhi is concerned, in view of the large number of dowry death cases, the police has set up a special cell from within its existing sanctioned strength with the following members. The Deputy Commissioner of Police—she is a woman —is heading the cell. In addition two inspectors with the strength of 20 people are there. We have constituted this cell. A proposal for sanctioning more staff for the anti-dowry cell is separately under consideration. Apart from the investigation of dowry-death cases, the cell is also going to look into their conduct in the court since it has been seen that there have been very few convictions in the court. Out of 33 persons arrested in dowry-death cases in 1980, only 4 cases have been convicted. Of the cases relating to 1981, two have been convicted while 14 are facing trial. The cases reported in 1983 are under investigation or pending trial. The Delhi Administration has been requested to look into the reasons for high acquittal in such cases. Some of the administrative measures taken to check such social crimes are mentioned below :

Instructions have been issued to the police officers to take serious note of cases of suicides or death in suspicious circumstances of young married woman in the first 10 years of marriage. These cases are to be treated as special cases and the investigation is to be conducted by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police. A cell has been set up in the Police Headquarters to investigate dowry-death cases and the cell is headed by the Deputy Commissioner of Police. A reconciliation-cum-guidance bureau under the anti-dowry scheme has been set up in the Directorate of Social Welfare of the Delhi Administration to provide counselling and guidance services to the married women in distress who are victimised by their in-laws an account of dowry. The Direc-

torate is also launching publicity propaganda through various media.

The instructions for getting *post-mortem* conducted by at least two doctors in dowry death cases have been issued. Moreover, the doctors are required to issue the necessary classification and attestation at the time of recording of the dying declaration.

Special Magistrates have also been detailed for recording the dying declaration. In such cases, all women victims of dowry cases are entitled to free legal aid.

These are some of the administrative actions which we have taken so far as the Delhi Administration is concerned.

About the steps taken by various State Governments, we have written detailed letters followed by a personal letter by the Home Minister to various State Governments to take action speedily not only with regard to dowry deaths but also in cases relating to harassment of women. These are being monitorod and we are in constant contact with the State Governments as to what action they are taking from time to time.

Shrimati Pramila Dandavate also referred to one case. This case will come under Section 306 of the IPC, that is, abetment to commit suicide. Action is being taken.

Coming to the suggestions made by the hon. Member, I have already said that certain amendments are being proposed with regard to the Cr. P.C., the I.P.C. and the Indian Evidence Act. That should satisfy the hon. Member. I have already said about the compulsory *post-mortem*. About the procedure of dowry death cases, that it must be simplified, this matter is also being looked into because the procedure is a laborious. We have also suggested that some sample cases should be taken to find out why there has been inordinate delay in these matters, why there have been a large number of acquittals and what are the procedural lapses that make these cases acquittal cases. So, we are making a sort of sample survey in all these matters. Wherever the procedures are faulty and they are not adequate enough to lead to conviction, all efforts are being taken to see that these cases are properly conducted in the courts.

श्री अब्दुल रसीद काबली (श्रीनगर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो केसेज कोर्ट्स में जा रहे हैं, वहां पर चार-चार और दस-दस साल उन में लग जाते हैं और इस की जो इम्पोर्टेन्स है, उसको पेशेनजर रख कर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे केसेज के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाइए या कोई और रास्ता निकालिये क्योंकि इस की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है । हमारे यहां जम्मू व काश्मीर में एक केस हुआ, जिसमें डाईंग डेकलेरेशन में भी एक विटनैस था और जिसमें उस मरती हुई नारी ने मेरी मौजूदगी में अपना बयान दिया था । उस में उस ने कहा था कि दहेज की वजह से उसके हस्बंड और उसके फादर-इन-ला की ज्यादती की वजह से वह अपने को हलाक कर रही है । अपने डाईंग डेकलेरेशन में उस ने कोर्ट में यह बयान दिया था लेकिन कोर्ट में यह मामला चार साल से पड़ा हुआ है और अभी तक वह डिस्पोज आफ नहीं हुआ है । इस तरह से कोर्ट से कोई जस्टिस इस तरह की महिलाओं को नहीं मिल रही है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : This is also engaging the attention of the Government. The Delhi High Court has earmarked certain court to deal with primarily dowry death cases and burning cases also so that there should not be any undue delay in all these matters. There are certain earmarked courts to deal with these cases exclusively. We will pursue this matter also. About the hon. Member's suggestion of having tribunals, whatever is being achieved by

[Shri P. Venkatasubbacah]

earmarked courts, if they could achieve good results, there is no reason why we should go in for tribunals.

She also mentioned about the unfortunate victims who have been harassed, that a home must be found where they can be sheltered and given proper protection. This is a very good suggestion and it will be looked into with all the sympathy that it deserves.

About the public opinion that should be created, public opinion cannot be created by Government alone; public opinion has to be created by voluntary organizations, also. We have already given instructions to use the media effectively, the All India Radio and the Doordarshan; to highlight how to bring to the notice of the people the evil effects of dowry and the harassment of women. The voluntary organisations also must come forward and give their cooperation. Recently I have been a meeting with the Chief Executive Councillor also on how to mobilise public opinion in this respect. In many cases, unfortunately, when the police proceed to make an investigation, sufficient evidence is not forthcoming. That is a handicap which the Administration faces in all these matters. But when it is said that police is neglecting, callous and indifferent, I do not subscribe to that view. Whatever is possible.....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : In some cases.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : To err is human. May be, in some cases it may be so. But I may assure the House that wherever there is dereliction of duty, wherever there is complacency, wherever there is a short of connivance, suitable action will be taken against those people who are found to be guilty.

About public servants demanding dowry, I do not know whether the Dowry Prohibition legislation is covering such public servants or not. There are several persons who advocate dowry prohibition on the one hand but at the same time they are adepts in demanding more dowry. If you can mobilise public opinion to boycott socially such persons, I will be the happiest man.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Public servants, when they get some money, will have to inform the Head of the Department or something like that. You can verify and if they get some Rs. 50,000 or so and they do not tell the Government, you can take action against them.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : When their assets are found to be disproportionate to their income, there is a procedure laid down for action to be taken. But in these matters it is highly necessary for these public servants or politicians or public men to reform themselves; they must prove worthy of the position they hold, so that they may stand as an example.

About inter-caste marriages, that is a very good idea and everybody should follow it. I am myself following that example and I feel happy that I followed that example a long time back.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How you have followed that example, you can tell the House also.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : My daughter had an inter-caste, inter-religion, inter-State, marriage. My son also is going to have an inter-caste, inter-State, marriage soon .....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : International also ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, he will be marrying an IAS officer—that girl, Group A.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : If my friend, Mr. Vajpayee, who is a bachelor himself, could suggest a suitable bride outside our country, I will persuade my children to follow his advice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He could have done it when he was External Affairs Minister.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : About the onus of proof on the accused, that is also one point that has been raised by the hon. Member.....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That is very important.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : So far as rape is cencerned, this amendment we have included in our Report. But I do not know about this dowry prohibition, I do not know the various provisions, the amendments that have been suggested. But soon the entire Bill will be brought before the House and the hon. Members may suggest these amendments when that Bill is being discussed.

These are some of the suggestions made by hon. Members. I once again submit to this House that the Government is very serious and sincere in their efforts to deal with the situation and also I appeal to the hon. House not to make a sort of unilateral type of adverse comments against the administration so that they should not get demoralised. There are black sheep in every department and in every administration. Whenever such instances are brought to our notice, I again assure the hon. House that proper action will be taken against them.

Now this Anti-Dowry Cell is being headed by a woman officer and they are doing a good job. They are in constant touch with the voluntary organisations. Seminars are being conducted and whatever suggestions are being made by voluntary organisations are being taken very seriously. They are being studied with all their implications and if they are feasible and if they can help the administration to eradicate this evil, they will certainly be considered.

With these words I again thank the hon. Members for having brought and highlighted this social evil on the floor of the House.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior) : It is very painful to discuss this matter. Much has been said on both sides. Actually the question posed is : what further action has to be taken ? The discussion arose from the fact that the numbers of deaths given in reply to a question appeared to be most improbable.

It is not only the question of burning cases. All deaths due to burning cannot be attributed as dowry deaths nor the deaths otherwise also are not dowry deaths. One has to sort out the cases which are deaths because of dowry. If the figures are not available, I will request the hon. Minister to find out and come out with the figures. The number of deaths reported in Delhi according to one magazines last year is 610. That comes to about one death after every 12 hours and out of that deaths due to dowry have to be sortedout.

Prima facie, the way in which the society is progressing to-day unfortunately among the middle class and particularly in Delhi casts a presumption that these deaths may be or most of them may be cases of deaths due to dowry. Towards that end, certain suggestions were made. But ultimately it depends upon the fact as to how far the action taken is deterrent and how far the punishment given is deterrent and it is seen that the culprits are brought to book early.

I want to bring to the notice of the hon. Minister. Actually the question is why should there any such deaths at all ? And why should there be dowry deaths at all ? What is the thinking of the Governnent ? What action is the Government going to take ? What is the reason why these dowry deaths are taking place ? Is it not a fact that the social values to-day are changing unfortunately and money is getting more importance instad of learnedness ane other qualities ? Materialistic money is getting more importance in our society. Is this not a fact and is this

[Shri N. K. Shejwalkar]

not the main cause of such things ? Ultimately why is a man or a woman moved to kill another woman ?......

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : She was also once a daughter-in-law.

SHRI N. K. SHEJWALKAR ; Yes. What is the instigation which is behind that ? How can that instigation be removed and how can we rise above that ? I want a solution for that. In that respect, what is the hon. Minister thinking of ? If I am to suggest, it will mean a long debate. A long discussion should be made, a study should be made to find out what are the causes of dowry deaths. My sister here, Madam Dandavateji was saying that there were two types of dowries demanded—one at the time when the marriage is actually settled. They demand 'give Rs 2 lakhs if you want to marry your daughter' If I am not wrong, in this type of cases, if Rs. 2 lakhs are paid already, mostly as dowry, then there will be less number of deaths. In the society, they settle something first and then they go on asking or demanding more money. This is the cause which is leading to the dowry deaths. It is not a fact ? Normally, Sir, when the poor lady goes to her father, she cannot live with him. He tells her that she must go and live with her husband ; she must please her husband. If the society is not prepared to accept her, this will be a problem for the lady who is being harassed. The father of the girl does not accept her. These are the situations which compel the lady to commit suicide or she is even murdered. In these types of cases, I would request the Minister to throw some light and see that he tries to find out some solution out of that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Bhuria.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : आजाद भारत में, हमारी समाज में यह एक बहुत बड़ा कलंक है। हमारे देश में आधे पुरुष हैं और आधी महिलाएं। पचास प्रतिशत महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हों, यह हमारे समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। आप देखें कि यह बुराई हमारी हमाज में क्यों फैल रही है। एक कारण तो यह है कि जो फिल्में हैं, जो सिनेमा है, बहुत सारे हमारे नौजवान फिल्म देख कर जाते हैं और इस प्रकार के कुकृत्य कर बैठते हैं। खास तौर पर मध्यम वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। जो पूंजीपति हैं वे काफी दहेज दे देते हैं लेकिन मध्यम वर्ग नहीं दे पाता है। गांव का जो गरीब आदमी हुआ करता था वह अपनी मस्ती में जिन्दा रहता था। लेकिन अब उसमें भी यह बीमारी फैल रही है। लेकिन खास तौर पर जो मिडल क्लास है वह इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है, इसी क्लास की महिलाएं बहुत ज्यादा शिकार होती हैं। इस प्रकार की जो फिल्में हैं और जिन को सेंसर बोर्ड पास कर देता है उन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की जो पत्र-पत्रिकाएं हैं जो काल्पनिक लेख लिखती हैं उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए। इससे भी बहुत सारी घटनाएं होती है।

कोर्ट में अगर यह सिद्ध हो जाता है कि वाकई में पति के कारण पत्नी की मृत्यु हुई है तो कानूनन उसको दूसरी शादी की परमिशन नहीं होनी चाहिये और इस प्रकार का कानून बनना चाहिये। इससे पुरुष वर्ग पर एक प्रकार का भय बना रहेगा और वे इस तरह की बात करने से डरेंगे। वे समझेंगे कि अगर मैंने पत्नी को परेशान किया और उसकी मृत्यु हो गई तो न समाज और न कानून मुझे दूसरी शादी करने की परमिशन देगा।

साथ ही जो शासन में हैं अगर यह सिद्ध

हो जाता है कि उस ने पत्नी के साथ मारपीट की है और इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी सर्विस को टर्मिनेट करने की व्यवस्था होनी चाहिये । वह समझेगा कि मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मेरी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी तो वह ऐसा करने से डरेगा । उसके सामने यह समस्या रहेगी कि तब मेरा गुजर बसर कैसे होगा ।

आपने कहा है कि दिल्ली में इसके बारे में एक सैंस बना है । मेरा कहना है कि इस काम के लिए आप कम्प्लीटली पुलिस अफसर लगाएं, पुलिस जांच करे । साथ ही जज भी पुलिस अफसर होना चाहिये । वकील हो तो महिला वकील होनी चाहिये । महिला की बात महिला ही ज्यादा जान सकती है । पुरुष हमेशा कहीं न कहीं किसी डर से दूसरी जजमेंट लिख सकता है । अगर महिला होती तो उसमें यह भावना होती कि हमारी बहनों पर दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, तो यह मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वह रिप्लाई देंगे और आने वाले कानून में इस प्रकार की सख्ती बरतेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि समाज की इस बुराई को वालेन्टरी एजेन्सीज से खत्म करायें ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न जिसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें विशेष उल्लेख था कि सी० बी० आई० के पास जो केस भेजा है, वह कहां का है । मेरा कहना है कि उसके डिटेल्स हमारे सामने प्रस्तुत करें और सी० बी० आई० ने उस मामले में क्या प्रगति की है, उसकी जानकारी दें ।

मंत्री महोदय ने बताया कि 270 मामले बर्निंग डैथ्स के हैं इसमें सिर्फ 23 मामले डाउरी के हैं । मेरा कहना है कि एक्सीडैंट्स से भी बर्निंग डैथ्स हो जाती हैं । इसकी डिटेल पूरी दें कि बर्निंग डैथ्स किन कारणों से हुई हैं ?

जब तक दहेज प्रथा समाप्त नहीं होती है, तब तक आत्महत्याएं चलेंगी और मर्डर्स होंगे, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये कोशिश करना आवश्यक है । इस संबंध में ज्वायन्ट सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिये हैं, इन सभी पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह आवश्यक है कि जितने भी कानून हैं, शोसल रिफार्म किये गये हैं, चाहे बाल-विवाह हो या और कानून हो, दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है और केसेज की रिपोर्टिंग कम होती हैं, कम्पलैंटस अगर हों तो उनके बारे में निर्णय भी पक्ष में नहीं होता ।

प्रश्न यह हो जाता है कि अगर दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों ही राजी हैं तो आप क्या कर सकते हैं ? यह टैक्नीकल प्रश्न सामने आ जाता है । आप उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते । जब जुल्म होता है तभी बात आगे बढ़ती है । कहने का मतलब यह है कि देना और लेना जुर्म है । दहेज की डैफीनिशन के बारे में भी आपको सोचना होगा इसे बनाना होगा । कहने का अर्थ यह है कि दहेज के बारे में जितने भी कानून बनायें जब तक सामाजिक क्रांति और चेतना नहीं लायेंगे, जैसे वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन्ज के बारे में पं० जवाहर लाल नेहरू ने 6 मई, 1961 को डाउरी प्राहीबीशन एक्ट पर डिस्कशन के समय

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

कहा था —

"Legislation itself cannot normally solve deep-rooted social problems. One has to approach this in other ways too. But legislation is necessary and essential so that it may give that push and have that educative factor as well as the legal sanctions behind it which help public opinion to be given a certain shapea ."

प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी यही राय व्यक्त की थी। इस लिए हमें एक सामाजिक क्रान्ति लानी पड़ेगी और उसके साथ-साथ वह जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, जो पूंजीवाद पर आधारित है, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा । जब तक हम इस ढांचे में परिवर्तन नही करेंगे, तब तक ये कुप्रथाएं चलती रहेंगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रजातंत्र में पूंजीवाद खत्म नहीं हो सकता

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : इस समय जो प्रजातंत्र चल रहा है, वह पूंजीवाद पर आधारित है । मैंने इस दृष्टिकोण से इसे परिवर्तित करने की बात कही है । माननीय सदस्य ने मुझे करेक्ट किया है, यह ठीक है ।

कम्युनिस्ट कन्ट्रीज उस ढांचे में परिवर्तन कर के समाजवाद और साम्यवाद की तरफ चल रहे हैं। आज हम सब व्यक्तिगत प्रापर्टी एकत्रित कर रहे हैं। हमें लालसा है एकत्रित करने की । इसका कारण यह है कि हममें सुरक्षा की भावना नहीं है कि पैसा और प्रापर्टी न होने पर हमारी और हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी। अगर इस बात की गारंटी हो जाए कि हमारे परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, बुढ़ापे में भी हम सुरक्षित होंगे, तो लोग न तो पैसा एकत्रित करेंगे और न दहेज की प्रथा रहेगी। इस ढांचे में हमारी सुरक्षा नहीं है और उसके कारण व्यक्ति पैसे की होड़ में लगा हुआ है। ज्यों ज्यों यह होड़ बढ़ेगी, त्यों त्यों अपराध होंगे और चाहे कितने भी कानून बनाए जाएं, उन्हें रोका नहीं जा सकेगा।

मैं समझता हूं कि हमें सामाजिक ढांचे और राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा । हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम प्रजातंत्र में और कांस्टीट्यूशन में क्या परिवर्तन करें । जब हम इस दिशा में कदम उठाएंगे, तभी हम इन कुप्रथाओं को समाप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : In all other countries, the Goddess of wealth is not considered to be wealth. Therefore, whenever a lady goes to another house, they want the Goddess of wealth with actual wealh.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Not 'Lakshmi'....?

MR. DEPUTY-SPEAKER : They want wealth with 'Lakshmi'.

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां दहेज प्रथा इसलिए प्रचलित है कि हमारी मानसिकता इसमें बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक, बहुत हद तक लिप्त है। हजारों हजार सालों से हमारी मानसिकता इसी ढंग से बनी हुई है। यूं तो कह दिया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता:", लेकिन साथ-साथ तुलसीदास ने यह भी कहा कि "ढोल, गंवार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तुलसीदास तो केवल 300 साल पहले हुए थे।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : आज के समाज में हमने तुलसीदास को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है।

हमारी मानसिकता का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि विवाह जैसे कार्य में हम विवाह ही नहीं करते, हम कन्यादान करते हैं। हम कन्या को दान देने की वस्तु समझ लेते हैं। नारी जाति को हमने पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया है, उसे हमेशा नीचे का दर्जा दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जीवन दान देते हैं तो जीवन की कम कीमत है ?

प्रो० अजीत कुमार मेहता : जिसको जीवनदान देते हैं उसको अपने से थोड़ा कम समझकर उसके लिए प्रयास करते हैं।

अपने समाज में नारी को रत्न कहा गया है। रत्न कितना भी कीमती हो, जीवन से अधिक कीमती नहीं हो सकता है। यानी हम नारी को इतर समझते रहे हैं। इसी के कारण इन कुप्रथाओं का जन्म हुआ और यह सब चलता रहा।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हमारा कानून त्रुटिपूर्ण है उसके कारण पुलिस मोटिवेटेड नही होती है। दहेज के कारण जो अपराध होते हैं उनको पुलिस कागनिजेबल और नानबेलेबल आफेन्स नहीं मानती जब तक एक साल के अन्दर मुकदमा दर्ज न कराया जाए। तब तक पुलिस अपने मन से कुछ नहीं करती है। इसलिए पुलिस निरपेक्ष रूप से काम करती है और उस तरफ अधिक ध्यान नहीं देती है।

इसके साथ-साथ एक कारण और भी है। पुलिस बल में अधिकतर पुरुष ही हैं और वह भी अधिकतर ऐसे समाज से हैं जो दहेज लेना बुरा नहीं समझते हैं। वस्तुतः सभी तो नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में लिप्त भी हैं। तो ऐसे लोगों से भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस सम्बन्ध में कोई कड़ा कदम उठायेंगे।

आपने यह भी कहा कि जलकर मरने वाले सभी मर्डर्स और हत्यायें दहेज के कारण ही नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी है कि बहुत सी हत्यायें या आत्महत्यायें दहेज के कारण ही होती हैं। तो उसका भी लेखा-जोखा होना चाहिए। इन सभी मामलों में बहुधा देखा जाता है कि हत्या दहेज के कारण ही हुई लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी प्रमाण रखकर ऐसी हत्या नहीं करता है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी से जांच करने की आवश्यकता होगी। केवल वही हत्या दहेज के कारण नहीं हुई जिसमें पति ने पकड़ रखा है और सास ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी बल्कि वह हत्या भी दहेज के कारण ही समझी जानी चाहिए जिसमें पत्नी को मानसिक पीड़ा देकर आत्म-हत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो। जो संशोधन आप सोच रहे हैं उसमें इसके लिए भी कोई उपाय होना चाहिए।

आपने कहा कि सभी तरफ से दहेज पर हमला किया जा रहा है किन्तु मैं एक उदा-हरण देना चाहता हूं। आल इंडिया रेडियो से जो विज्ञापन प्रचारित होते हैं उनकी एक

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

साइन आप सुन लीजिए—आपको शादी में जाली बीवी ही नहीं, जाली टी० वी० भी मिल जाए। आपकी पसन्द खूबसूरत बीवी और बेलटेक कलर टी० वी०। एक तरफ तो आपकी मंशा दहेज बन्द करने की है लेकिन दूसरी ओर आपके प्रचार माध्यमों से परोक्ष रूप से उसका प्रचार किया जाता है। इसलिए क्या यह दोनों बातें एक साथ सम्भव हो सकती हैं ? (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : In Cigarette advertisements, it is shown smoking is harmful, but cigarette advertisment will be there.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : Exactly.

आपने कहा कि कुछ कोर्ट ईयर-मार्क कर दिए जायेंगे तो केवल दहेज के संबध में अपराधों का निपटारा करेंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : दिल्ली में।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : लेकिन उसमें एक हानि होने की संभावना है। मेरे दिमाग में जो बात आई है, वह यह है कि कोर्ट बना भी देंगे तो उसमें एक जज होगा और कानून आपका बहुत त्रुटिपूर्ण है और फैसला उस एक जज के टैम्परामेंट पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वह जज एक्विटल माइंड का हुआ तो सारे के सारे फैसले अपराधियों के पक्ष में होते चले जायेंगे। अपराधी निरअपराधी कह कर छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अपराध सिद्ध नहीं होता, उसका एक कारण यह है कि डाइंग-डिक्लेरेशन एक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आवश्यक है, बहुधा ऐसा होता नहीं है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से संसद सत्र के समय प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और शाम के समय मैजिस्ट्रेट डेप्यूट कर देते हैं, ब्यान लेने के लिए, उसी प्रकार दहेज संबंधी क्षेत्र में भी ब्यान लेने के लिए मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति या मैजिस्ट्रेट डेप्यूट करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर यह संभव न हो तो लेडी डाक्टर के सामने अगर मरने वाली युवती डाइंग डिक्लेरेशन दे, तो उसको भी जायज मानें, ऐसा कानून में प्रावधान करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार सबूत उपलब्ध होंगे, और अधिक कठिनाई नहीं होगी।

इसी के साथ अब मैं कुछ प्रश्न आप से करना चाहूंगा। पिछले एक साल में कितने मामले दर्ज हुए और उसमें कितनों पर कार्यवाही की गई और गिरफ्तारी की गई और कितने केसेज के भीतर 90 दिनों में चार्ज शीटेड किया गया ? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 90 दिनों के भीतर चार्ज शीट न करने पर अपराधी बेल पर छूटने के लायक हो जाता है। न्यायालय एवं महिला दक्षता समिति द्वारा अनुशासित कार न्सू कोर्ट स्थापित करने जा रहे हैं और कब तक ? क्या दहेज से संबंधित अपराधी के निपटारे के लिए जगह-जगह विशेष न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं ? यदि स्थापित करने जा रहे हैं, तो कब तक ?

MR DEPUTY-SPEAKER : Mr Venkatasubbaiah, You can reply to all the four.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Rose

MR DEPUTY-SPEAKER : If the Minister yields, I have no objection ... All right. Though it is against the rules.

I am allowing you. You should not quote it as a precedent. Because there is no lady Member, I thought I would allow her.

श्रीमती अमिला बंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं ज्यादा भाषण न करते हुए, सिर्फ दो तीन बातें मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, जो इनसे संबंधित है। अभी जैसा कि मेरे से पहले वक्ता ने कहा कोरनर्स कोर्ट दिल्ली जैसे शहर में होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की इस के बारे में सिफारिश है। आपने कहा है कि स्टेट को भी इन्स्ट्रक्शन दी गई है और पोस्टमार्टेम के लिए भी कहा गया है। मैं आप का ध्यान सात साल शादी के होने पर जो घटना घटती है, उसकी ओर ले जाना चाहती हूं। लाजपत नगर में 7 जुलाई को एक घटना घटी थी। मैंने उसमें खुद दखलअन्दाज किया था। लड़की की लाश से मां बाप को थोड़ा दूर रखा गया था, पुलिस उनको इन्कार कर रही थी। पोस्ट मार्टेम दो डाक्टर्स से होना चाहिए, आपने कहा है। वीमेन आर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा। आप की इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी अगर कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं होती है, तो आप से प्रार्थना है कि कैसे भी मृत्यु हो चाहे डाउरी डेथ हो या और तरह से भी मृत्यु हो जाए, तो उस के लिए अगर कोरोनर्स कोर्ट हो जाती है, तो वह उस के बारे में इंक्वायरी करेगी और इस तरह से महिलाओं की मदद हो सकती है। आप ने मंजूर किया है कि शेल्टर होम्स बनने चाहिए। Women organisations are willing to have children homes.

आप होम मिनिस्ट्री को कुछ ग्रान्ट देकर ऐसा कर सकते हैं। नारी निकेतन हम नहीं बनाना चाहते हैं। कस्तूरबा निकेतन और बेण्डल होस्पीटल यहां पर जो चल रहे हैं, उन में रहने वाली महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार के शेल्टर होम्स इमीजियेटली बनने चाहिएं, जिन में रख कर हम अपनी बहनों को बचा सकते हैं। घर से निकलकर उन के लिए कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए वे बनने चाहिए।

मैं तीन बातें कहना चाहती हूं। पहली तो यह है।

Immediately you stop all the marriages at night.

इल्यूमीनेशन वगैरह सब बन्द होना चाहिए। और जो आप का गेस्ट कंट्रोल एक्ट है, उस को इमीजियेटली लागू करना चाहिए। यह तो आप के हाथ में है और आप इस को कर सकते हैं। इस के अलावा रास्ते में पंडाल लगाने की किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कम से कम हम यह तो कर सकते हैं कि हमारे इस सदन में बैठने वाले जो लोक प्रतिनिधि हैं, उन को इस तरह की शादियां नहीं करनी चाहिए। दुःख की बात है कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है और जहां पर हम सब बैठे हैं, वहां पर इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली शहर इतना बड़ा शहर है और हमारी संसद यहां पर है और हम जो इस सदन में बैठने वाले प्रतिनिधि हैं, वे अपने घरों में इस तरह की शादियां न करें और इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिन लोगों ने 5 सालों के अन्दर अपने घरों में शादियों पर लाखों रुपया खर्च किया हो, उन को पार्टी के सदस्य बनने के लिए टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यह सब पार्टियों

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

पर लागू होना चाहिए और मैं आप को बताऊं कि रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य ने अपने घर की शादी में 25 लाख रुपया लगाया और वह इस बात को अभिमान से कह रहा है कि उस के यहां शादी में 20 हजार लोग आए। इस तरह से अगर लोग शादियां करते रहेंगे, तो आप चाहे जो भी कानून बना लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है।

आखीर में मेरी आप से यह प्रार्थना है कि डाऊरी के लिए जो आप की एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, जिन को लागू करने पर हम बहुत सी लड़कियों को बचा सकते हैं। यहां पर बहस करने से कुछ नहीं होता है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस सेशन में यह बिल लाकर पारित कराने की कोशिश कीजिए और इस चीज को रोकने के लिए जो भी उपाय करने जरूरी हों, उन को कीजिए। आप विजीलेंस कमेटी बनाइए और कुछ न कुछ कदम आप इस दिशा में शीघ्र उठाइए ताकि इस तरह की घटनाएं न हों।

MR. DEPUTY-SPEAKER : How much dowry had you brought when you married Prof. Madhu Dandavate ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I had accepted her only. That is all. I had not accepted any dowry.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : First, I would like to submit my reaction to what the lady member has said. Really, I am thankful to you for allowing her to put questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Because you were yielding to her.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I could not have defied your ruling when she had said about it. She has got a vast knowledge, and whatever suggestions she has made, they will receive the almost attention by the government : and whatever suggestions are practicable, they will be given due consideration because she has quoted some amendment that has been proposed in the Dowry Prohibition Act.

Shri Shejwalkar has said that a study has to be made to go into the causes of dowry deaths and burning of women. Though it may not be adequate, we have made a small beginning. A Research Project on burning of women in Delhi during 1982 and 1983 will be taken up by the Special Research Cell of the Delhi Police, headed by a Deputy Commissioner of Police. The study will determine the type of death, i.e. suicide, murder or accident, as well as the age, social status, educational background. marital status etc., of the deceased. The disposal of cases registered in this connection, the number of persons arrested and the convictions in court will also be determined. On a vast scale, they will go into the causes. It is a matter that has to be taken up by some voluntary organisations; and this evil, as the hon. member has pointed out, is age old evil.

But, Sir, there is also another evil where money is paid to the bride's father to get a bride ? In some societies that custom also is there. So, these are some of the customs that are inherent in our social system.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is negative dowry.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We are taking the necessary steps are some of these evils can be prevented by mobilising public opinion.

Another hon. Member has said about the need to bring in a comprehensive legislation. I have already submitted to this House that some very drastic amendments are being made to the criminal Procedure Code, the Indian Penal Code and the Indian Evidence Act. We will

make a thorough study of all these amendments that are being made to see whether they are going to be effective. If the Government and this House feel that the amendments that are being made will not be adequate or comprehensive enough to deal with the situation, then to use the remarks of Prof. Dandavate, at an appropriate time we will consider whether a more comprehensive legislation will also be necessary in this regard.

Shri Jain has spoken about the case which was referred to the C.B.I. He wanted me to give the details of that case which was referred to the C.B.I. That was the case of one Shrimati Krishna, wife of Sudesh Kumar, who was alleged to have been burnt by her in-laws. The investigation of this case has been transferred to the C.B.I. This is a case which had occurred in Delhi. These are the particulars of the case which we have referred to the C.B.I.

With regard to the arrested persons, so far as Delhi is concerned, in 1982 the number of persons arrested was 91, and in 1983 40 were arrested. We are also making a thorough investigation into these cases.

I had also mentioned the figures of deaths of women, and how many women have died due to burning. All these are not connected with dowry deaths; some may be suicides, some may be accidental cases and there may be various other reasons. However, we are thoroughly investigating all these cases, and the situations that have led to the burning of these women.

Another point which Shri Mehta had mentioned is about the courts, which are earmarked to deal with dowry death cases. He said that in some cases the Magistrate or the Presiding Officer may be an acquittal-minded person and that will go against the intention of the legislation. But, setting apart a court to deal with dowry death cases exclusively is not done. Dowry death cases are tried by other courts as well. So, he need not have any apprehension that dowry death cases will be exclusively tried by courts earmarked for this purpose.

Shrimati Dandavate has spoken about shelter homes, and I said that it is a good idea and whichever Ministry provides shelter homes does well. I will pass on this suggestion to the Department of Social Welfare which deals with the matter.

About dowry deaths to be made cognizable offences, I have already said that some amendments have been contemplated to make these dowry death cases cognizable.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please answer Mr. Dileep Singh Bhuria.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I am coming to that. A mention was made of the deleterious effect that some films and magazines have on the society. It is a fact that some of the films are having a deleterious effect on the minds of the people In their attempt to see that the evil-doers are punished and justice prevails, by exhibiting certain films, they are having an adverse publicity. But this matter also has to be discussed thoroughly by the non-official ageneies to find out to what extent some sort of a control can be exercised over those films and magazines.

About the advertisement that has been broadcast over All India Radio, I do not know the exact particulars of that case. The hon. Member had mentioned it I will refer the matter to the Minister of Information and Broadcasting, to find out whether any such advertisement was broadcast saying, "A beautiful wife and beautiful voice" etc., as he has said.

Whatever suggestions have been made, I will certainly look into all these matters and whatever is possible will be taken care of by the Government.

19 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Bhuria has made some suggestions.....

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : He said that there should be a comprehen-

[Shri P. Venkatasubhaich]

sive legislation with regard to this matter. I have already answered about the suggesion made by Shri Bhuria.

There were 610 cases of women who died due to burns. In 1982, in Delhi, the total number of cases registered was 82 and out of them dowry death cases were 40. Inquest proceedings under Section 174 Cr.P.C. were conducted in all the 610 cases and the causes of death have been established.

As I said earlier, on the basis of the specific complaints, 40 cases were treated as dowry death cases. So, in all these matters a thorough investigation has been made and some 40 cases have been identified as dowry death cases.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow morning.

19.01 hrs.

The Lok Sabha then adourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 4, 1983/Sravana 13, 1905 (Saka).